

श्रीमती कुसुम लता सिंघल

बनाम

आयकर आयुक्त राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

16 जुलाई, 1990

[सब्यसाची मुखर्जी, सीजे एवं के. रामास्वामी, न्यायाधिपतिग]

आयकर अधिनियम, 1961/आयकर नियम, 1962 : धारा 132 (5), (7) / नियम 112 ए - आई. टी. अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती - क्या निर्धारिती मूल्यवान वस्तुओं की वापसी का हकदार है।

याचिकाकर्ता बाबा ब्रांड टोबैको के भंडारणकर्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा था। याचिकाकर्ता का पति, जो उत्पाद का उप-विक्रेता था, हर भौतिक समय पर उसके साथ रह रहा था।

आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत उनके घर पर एक तलाशी ली गई और कीमती सामान और लेखा पुस्तकें जब्त की गईं। आयकर नियमों के नियम 112-ए सपठित अधिनियम की धारा 132 की उपधारा 5 के तहत एक नोटिस याचिकाकर्ता को दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर अपने खाते की किताबे और अन्य कीमती सामान वापस करने का दावा किया। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत कार्यवाही में, उन्होंने दावा किया था कि गहने उनके हैं और इन्हें उनकी अघोषित आय का प्रतिनिधित्व करने के रूप में माना जा सकता है।

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 132 (1) के तहत तलाशी का अधिकार कानून के अनुसार नहीं था और इसलिए, संपत्ति की जब्ती को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता था। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि पति के खिलाफ अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत दिए गए आदेश को देखते हुए, याचिकाकर्ता को कीमती सामान वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यदि तलाशी और जब्ती अवैध है, तो आभूषणों की वस्तुएं वापिस की जानी चाहिये थी। राजस्व की ओर से, यह तर्क दिया गया कि ऐसी स्थिति में जहां इस बात पर विवाद था कि आभूषणों और गहनो का मालिक कौन था, याचिकाकर्ता को उन्हें वापस करने का निर्देश देने से इंकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

(1) प्रश्नगत आभूषणों के स्वामित्व के विवाद को याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए तरीके से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में हल नहीं किया जा सकता है। [397 एफ]

(2) वर्तमान विवाद में न्यायालय को इससे कोई संबंध नहीं है कि अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत पति के खिलाफ कार्यवाही वैध है या नहीं, लेकिन कार्यवाही की वैधता के बावजूद, सबूत या गवाही जिसमें पति ने दावा किया है कि उसके होने वाले आभूषण और गहने मिटायें नहीं जा सकते और अस्तित्वहीन नहीं हो जाते। उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा पत्नी को आभूषण

और अन्य वस्तुएं सीधे वापस करने से इनकार करना, पहले से ही उचित था। यदि यह स्थिति है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने कानून में कोई त्रुटि की है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा सुधार की आवश्यकता है। [397 ई-जी]

असैनर और अन्य बनाम आयकर अधिकारी, कालीकट, [1975] 101 आईटीआर 854; जे. आर. मल्होत्रा और एक अन्य बनाम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालंधर, [ 1976 ] 2 एस. सी. आर. 993 और वाणिज्यिक कर आयुक्त, राजस्व बोर्ड, मद्रास बनाम रामकिशन श्रीकिशन झावेर, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 59, अंतर किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 15327/1989

(डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2161/1988 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय ओर आदेश दिनांक 18.7.1989 से)

सी. एस. अग्रवाल, एच. आर. पारेख, एस. के. जैन, याचिकाकर्ता के लिये।

ओ. पी. वैश्य, एस. राजप्पा और सुश्री ए. सुभाशिनी, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय सब्यसाची मुखर्जी, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा द्वारा दिया गया था।

यह राजस्थान उच्च न्यायालय के 18 जुलाई, 1989 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित एक विशेष अनुमति याचिका है। यहां याचिकाकर्ता अर्थात् श्रीमती कुसुम लता सिंघल ने सभी प्रासंगिक समय पर मैसर्स लता एंड कंपनी के नाम और शैली के अंतर्गत कारोबार किया और उसने स्वयं को मैसर्स धर्मपाल प्रेमचंद लिमिटेड, नई दिल्ली के द्वारा उत्पादित बाबा ब्रांड टोबैको की एक अधिकृत भंडारणकर्ता बताया

है। श्री आर. के. सिंघल याचिकाकर्ता का पति है। अपील के तहत दिए गए फैसले में यह कहा गया है कि श्री आर. के. सिंघल के पास एक मकान नं. ई-117, शास्त्री नगर, जयपुर में है और याचिकाकर्ता हर भौतिक समय पर अपने पति के साथ रहती थी। श्री सिंघल लता सेल्स सेंटर में भागीदार थे और मेसर्स लता एंड कंपनी के उप-विक्रेता कहा जाता है।

25/26 नवंबर, 1987 को उक्त परिसर में आयकर अधिनियम (इसके बाद जिसे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 134 के तहत एक तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, 26 नवंबर, 1987 को कीमती सामान और खातों की पुस्तकें जब्त की गईं और आयकर अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को आयकर नियम, 1962 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 112ए सपठित अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (5) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता के पति को नोटिस दिया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन में, याचिकाकर्ता ने 26 नवंबर, 1987 को जब्त किये गये खाता बही और अन्य कीमती सामान की वापसी का दावा किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वापसी का दावा इसलिए किया गया था क्योंकि पुस्तकों और कीमती सामानों का प्रतिधारण अधिनियम की धारा 132 के प्रावधानों का उल्लंघन था। अपील के अंतर्गत उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम की धारा 132 (1) के तहत वर्तमान मामले में तलाशी के लिए अधिकृति वैध या कानूनी नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने माना कि तलाशी गलत थी। तलाशी के समय लगभग 4,58,089/-रूपये मूल्य के चांदी और सोने के आभूषण मिले थे और कुछ अन्य चांदी और सोने के आभूषण भी मिले थे लेकिन इन्हें जब्त नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उसकी

फोटोस्टेट प्रतियां प्रस्तुत करने पर लेखा पुस्तकों को वापस करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अधिनियम की धारा 132 (1) के तहत प्राधिकृति कानून के अनुसार नहीं थी और इसलिए, संपत्तियों की तलाशी और जब्ती को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ धारा 132 (7) के तहत शक्ति और अधिनियम की धारा 132(5) के तहत दिये गये आदेश के आधार पर, कीमती सामान आदि को वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उक्त आदेश को चुनौती देना चाहती है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थिति श्री सी. एस. अग्रवाल ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि यदि तलाशी और जब्ती अवैध थी तो इस तरह की तलाशी और जब्ती द्वारा प्राप्त साक्ष्य का उपयोग बाद की कार्यवाही में किया जा सकता था, लेकिन उनके अनुसार, रुपये 2,97,000/- से अधिक के आभूषण और सामान वापस किए जाने योग्य थे। हालाँकि, हम इस अपील पर विचार करने में असमर्थ हैं। वर्तमान मामले में पत्नी का पति उसी परिसर में रहता था। खाता बही और जब्त किये गये सामान के संबंध में तलाशी और जब्ती का अधिकार पत्नी के खिलाफ था, लेकिन अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत कार्यवाही में पति श्री सिंघल ने तर्क दिया है और दावा किया कि प्रश्नगत आभूषण या गहने उससे संबंधित थे।

राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वैश्य ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 132 की उप धारा (5) के तहत श्री सिंघल के खिलाफ जारी एक प्राधिकृति की ओर आकर्षित किया है। दरअसल, श्री आर. के. सिंघल ने तलाशी के समय अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेते हुए कहा है कि यह सामान उनका है और उन्होंने दावा किया है कि यह उनकी अघोषित आय का प्रतिनिधित्व करने वाला

माना जायेगा। श्री आर. के. सिंघल, पति, जैसा कि उनके खिलाफ कार्यवाही में उनके साक्ष्य दर्ज किये हैं, इसका खुलासा किया है और कुल 4,00,000/- रुपये अधिक की राशि का समर्पण किया है, जिसमें 1,16,550/- रुपये की अघोषित नकदी और रुपये 2,97,750 रुपये से अधिक के आभूषण शामिल हैं, उसके कब्जे से प्राप्त हुये हैं। चालू वर्ष के लिये आयकर निर्धारण के उद्देश्य से उसकी आय के रूप में, जिसे वह अपने व्यवसाय से अर्जित करने का दावा करता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात पर विवाद है कि आभूषणों और गहनो का मालिक कौन है या दूसरे शब्दों में कहे तो ये किसके हैं। यदि ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने आभूषणों और गहनो की वस्तुओं को वापस करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है, तो इस तरह के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। भले ही तलाशी और जब्ती को अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन यह अवैध नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह नहीं की गई वस्तुओं के बारे में विवाद का सवाल है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई त्रुटि की है जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है, या, दूसरे शब्दों में, कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय किया गया है।

यह अच्छी तरह से तय है कि प्रश्नगत आभूषणों के स्वामित्व के विवाद को याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए तरीके से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में आरक्षित नहीं किया जा सकता है। श्री अग्रवाल ने हमारा ध्यान असैना एवं एक अन्य बनाम आयकर अधिकारी, कालीकट और अन्य [ 1975 ] 101 आई. टी. आर. 854, में लिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो सामान किसी विशेष व्यक्ति के कब्जे से जब्त किया गया था, उसे आम तौर पर उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए जिसके कब्जे से उसे जब्त किया गया था। उपरोक्त स्थिति वह हो सकती है जहां प्रश्नगत माल के स्वामित्व के संबंध में

कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में, जिस व्यक्ति के कब्जे से सामान जब्त किया गया है, उसे सामान वापस करना संभव हो सकता है, लेकिन उक्त निर्णय या उसमें की गई टिप्पणियां उस मामले में याचिकाकर्ता के तर्क के समर्थन में कोई प्राधिकारी नहीं होगी, जहां कोई विवाद है।

हमारा ध्यान जे. आर. मल्होत्रा एवं एक अन्य बनाम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालंधर व अन्य, [ 1976 ] 2 एस. सी. आर. 993 के मामले में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियों की ओर भी आकर्षित किया गया कि इस प्रस्ताव के समर्थन में कि राजस्व अप्रत्यक्ष रूप से जब्त कियेगये धन को इस दलील पर नहीं रख सकता है कि इसके लिये एक मांग की जायेगी ओर कि धन को राजस्व द्वारा रखा जा सकता है जहां पर समर्पण और जब्ती गलत थी। हमें डर है कि इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियाँ भी उस परिप्रेक्ष्य के आलोक में कोई लाभ नहीं उठाती हैं जिसका हमने यहां पहले उल्लेख किया है। उक्त टिप्पणियां पूरी तरह से एक अलग संदर्भ में की गई थी।

हमारा ध्यान वाणिज्यिक कर आयुक्त, राजस्व बोर्ड, मद्रास व एक अन्य बनाम रामकिशन श्रीकिशन झावर व अन्य ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 59 के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों की ओर भी आकर्षित किया गया, इस प्रस्ताव के समर्थन में कि जब तलाशी अवैध पाई गई थी तो, सामान वापस कर दिया जाना चाहिए था। आम तौर पर, ऐसा ही होगा। यह प्रस्ताव असाधारण है लेकिन विवाद के आलोक में जैसा कि हमने इस मामले में देखा है, हमारी स्पष्ट राय है कि यह प्रस्ताव इस मामले में न्याय करने में कोई सहायता नहीं करेगा।

श्री अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि यदि मूल तलाशी के लिये धारा 132 (5) के अंतर्गत कार्यवाही को अमान्य माना जाता है तो उसके बाद की सभी कार्यवाहियां अमान्य होंगी और इसलिए, पति के खिलाफ भी उस तलाशी के परिणामस्वरूप शुरू की

गई कार्यवाही अमान्य होगी और दर्ज किए गए पति के ऐसे बयान का आगे कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में हम इस बात से संबंधित नहीं हैं कि अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत पति के खिलाफ कार्यवाही वैध है या नहीं, लेकिन कार्यवाही की वैधता के बावजूद, यहां पहले उल्लिखित साक्ष्य या गवाही, जिसमें उसने दावा किया है कि गहने और आभूषण जो उसके हैं, मिटाये नहीं जा सके और वे अस्तित्वहीन नहीं हो जाते। आखिरकार, इस मामले में, हम पति के इस तर्क से चिंतित हैं कि प्रश्नगत आभूषण उसके हैं। उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स होने के कारण, उच्च न्यायालय, हमारी राय में, पत्नी को इन समान आभूषणों और अन्य वस्तुओं को सीधे वापस करने से इनकार करने के लिए पहले से ही उचित था। यदि यही स्थिति है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने कानून में कोई त्रुटि की है जिसमें इस न्यायालय द्वारा सुधार की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अनुमति के लिए यह आवेदन निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस स्थिति में, इस आवेदन को खर्च के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दिया जाना चाहिए। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो निरस्त किया जाता है।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

**अस्वीकरण** - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।